Purnea University Purnea

M.L. Arya college
Kasba

Department of Pol. science

Hand written lecture
presented by

Hira chand Mehta
Assist. Professor

D.P - II

Paper - III

Date of lecture
↓
30-07-2020

Topic :- शोषण के विरुद्ध अधिकार
(अनु० 23 और 24)

Hirachand
30-07-2020

Scanned by CamScanner

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु० 23 और 24)

अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी-न-किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजनों, खेतिहर श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार किए जाते थे। नवीन संविधान के अन्तर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दण्डनीय घोषित कर दिया गया है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

बाल श्रम का निषेध (अनु०-24) :-

अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बेन्धुआ

Scanned by CamScanner

मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में कुछ कदम उठाए गए। 1996-97 में न्यायालयों ने बाल श्रम के निषेध पर बल दिया, अतः प्रशासन बाल श्रम की स्थिति समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन बंधुआ मजदूरी हो या बाल-श्रम ये सभी आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम हैं। अतः मात्र कानूनों या आधे-अधूरे प्रशासनिक प्रयत्नों के आधार पर इन स्थितियों को समाप्त कर पाना संभव नहीं है।

//